28 सोम 4 11 18 25

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

बालाघाट दिनांक 28/04/2025

पत्र क्र. 1083/तक/मप्रग्रासप्रा/2025

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टयेर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155493/2022
एवं प्रकरण क्रमांक WL/MP/Road/465890/2024)

संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्रमांक 2331/तक/बालाघाट दिनांक 02.04.2025
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1253/ 2023/ 10–11/5541, 5542 भोपाल दिनांक 11.11.2024

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टयेर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा राशि जमा किये जाने हेतु डिमांड नोट जारी किया गया था।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV, क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशो के तहत राशि केम्पा मद में एवं वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि म.प्र.टाईगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा टी.टी. नगर भोपाल में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्ते (भाग A अन्तर्गत 1 से 15, भाग B अन्तर्गत 1 से 17) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टयेर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 28/04/2025

पृ. क्र. 1084/तक/मप्रग्रासविप्रा/2025

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - Kandrikala to Kattipar

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 7.47 Hact.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Dapartment.**	
1	Cost of compensatory afforestation on the 8.00 ha. non-forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land againgst encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में NPV की राशि रू. 91,77,568.00, क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रू. 49,71,916.00 एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि रू. 56,82,820.00 कुल राशि रू. 1,98,32,304.00 ऑनलाईन कैंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। **(संलग्न – चालान की प्रति)**
2	The non forest land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तातंतरण करा दी गई है। ग्राम–टेकाडी, प.ह.न. 42, खसरा नं. 356 तह. कंटगी, जिला बालाघाट की राजस्व भूमि कलेक्टर बालाघाट के आदेश पत्र पृ. क्रं. रा.प्र.क्र./0032/अ–59 वर्ष 22–23 दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। **खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।**
3	The non forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under section-4 or Protected Forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (s) of the State Forest Act, A Copy of PF/ RF notification may be submitted Stage-I compliance report.	वन विभाग कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
4	Cost at compensatory afforestation on the 39.00 ha. consolidatied degraded forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provision for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	RDF क्षेत्र में तैयार की गई 39.00 हेक्टर की एकजाई 5 प्रस्तावों में राशि रू. 16216427.00 केम्पा मद में ऑनलाईन दिनांक 04.01.2024 को जमा कराई जा चुकी है।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 **7.47 Hact.**

5	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.63 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। **वचन पत्र संलग्न है।**
6	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
7	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the cocreneded District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। **(छायाप्रति संलग्न है।)**
8	The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	No objection certificate from the department which owns the existing transmission line proposed diversion area shall be submitted before Stage-II approval.	V.C. में प्रकरण की समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया था कि विद्युत लाईन काफी ऊँचाई में है। अतः N.O.C. की आवश्यकता नही है। कृपया उक्त कंडिका को विलोपित किये जाने का अनुरोध है।
10	In view of guideline dated 08/07/2024 at Para 12.5 the portion of 2.84 ha for which proposal has been submitted for necessary wildlife clearance, forest clearance will be accorded only after recommendation of NBWL. Further no working permission after Stage-I will be admissible in the proposal to prevent fait accompil situation.	वाईल्ड लाईफ की स्वीकृति हेतु प्रकरण क्रमांक WL/MP/Road/465890/2024 दिनांक 13.03.2024 को सबमिट कर स्वीकृति हेतु पालन प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 23.04.2025 द्वारा प्रेषित किया गया है।
11 a)	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
11 b)	Cost of the same shall be tranferred in CAMPA fund via online/e-protal.	
12	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। **(वचन पत्र संलग्न है।)**

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
प्ररि.कियान्वयन इकाई कं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 **7.47 Hact.**

13	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
14	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
B	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:**	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 8.00 ha.non forest land at Khasra No. 356 Village Tekadi, Tehsil- Katangi, District- Balaghat at the cost of the user angcy. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided.	राशि वनमंडल को चालान द्वारा केम्पा मद में जमा की गई है। शेष वनमंडल से संबंधित है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 39.00 ha.consolidated degraded- forest land at Forest Comptt. No. 763 Forest Range- Katangi, South Balaghat Forest Division at the cost of the user angcy. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non native species shall be avoided.	राशि वनमंडल को चालान द्वारा केम्पा मद में जमा की गई है। शेष वनमंडल से संबंधित है।
4	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। **(वचन पत्र संलग्न है)**

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 **7.47 Hact.**

5	The User Agency Shall restrict felling of trees to the enumerated 517 numbers/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency wtih the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
7	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे–किनारे वृक्ष लगे हुए है। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है। रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
8	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The period of diversion under this approval shall be co - terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts. Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 7.47 Hact.

17	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-I Balaghat
महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई कं. 1 बालाघाट

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

आरेहिल अरेरा हिल्स भोपाल. शाखा भोपाल – 462011
AREHIL ARERA HILLS BHOPAL. BRANCH BHOPAL - 462011
IFSC: CBIN0283312

सभी शाखाओं पर देय/ PAYABLE AT ALL BRANCHES

Date: 11 04 2025 (D D M M Y Y Y Y)

31150

PAY Branch Manager C.B.I.Balaghat

रुपये RUPEES Eight Crore Seventy five lakh Eighty Six Thousand – four Hundred Seven only – या धारक को OR BEARER

अदा करें। ₹ 87586407=00

खा.सं. A/c No 1793102296

6922013971

Account Officer
MPRRDA PIU-I
Balaghat (M.P.)

General Manager
M.P.R.R.D.A. P.I.U.1
BALAGHAT (M.P.)

ADMINISTRATIVE A/C MPRRDA
MPRRDA INTERNET BANKING SUPER CIF

चेक जारी करने से पहले चेक बुक सक्रिय करें
Activate Cheque book before issuance of cheque

कृपया हस्ताक्षर ऊपर करें / Please sign above

⑈162082⑈ 462016014⑆ 000017⑈ 31

केवल तीन माह के लिये वैध VALID FOR THREE MONTHS ONLY

20620014

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.–1, बालाघाट
फोननं. – 07632– 240334,E-mail - gm_bgtpiu1@rediffmail.com

ज्ञापन क्रमांक /लेखा./2025 958 बालाघाट दिनांक 11/04/2025
प्रति,

शाखा प्रबंधक
सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा–बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– Ad-HOC CAMPA मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत्।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत Ad-HOC CAMPA के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमांक **162082** दिनांक **11.04.25** राशि रू. **8,75,86,407.00 (आठ करोड़ पछहत्तर लाख छियासी हजार चार सौ सात मात्र)** संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त चैक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No.छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरणनिम्नानुसारहैः–

S.N	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155629680	3,05,17,100	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
2			1507661155398174	1,28,31,373	
3			1507661155493725	1,98,32,304	
4			1507661156164636	2,44,05,630	
			योग	8,75,86,407	

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण
परियोजनाक्रियान्वयनइकाई क्र.–1, बालाघाट

Vr. No. ---------/PIU-I/Date /04/2025

P.W.D. Form No. 28

Hand Receipt

PASSED FOR PAYMENT OF
Rs. 87586407/- Eight Crore Seventy Five lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Seven only
(In words) Rs.
General Manager
MPRRDA
PIU 1 Balaghat

In] Madhya Pradesh CAMPA Below A/c No.

1 Pay by Cash Rs.

2 Pay by Cheque Rs. 0.00

3 Paid by me 8,75,86,407

0.00

Received from the General Manager in charge of the P.I.U.-I, Balaghat.
The sum of Rs. **8,75,86,407.00 Only (In words Rs. Eight Crore Seventy Five Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Seven Only)** Name of Work or purpose for which payment is being made On Account of **NPV & Forest Expenditure RCPLWE Work.**

S. N.	Beneficiary Name	IFSC Code	Package No./ Road Name	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	MP01 810 Bodadlakha To Dhiri Murum	1507661155629680	30517100	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
2			MP01 812 T02 KM 45 To Kandrikala	1507661155398174	12831373	
3			MP01 812 Kandrikala To Kattipar	1507661155493725	19832304	
4			MP01 814 Sitapala Tatikala To Kosamdehi	1507661156164636	24405630	
				Total	87586407	

Allocation: - 8,75,86,407

Amount in Vernacular

Signature of payee

Account Officer
M.P.R.R.D.A.
P.I.U. -I, Balaghat

Paid vide Cheque
No. 162082 Dated 11.04.25

Account Officer
MPRRDA PIU-I
Balaghat (M.P.)

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.–1, बालाघाट
फोननं. – 07632– 240334, E-mail - gm_bgtpiu1@rediffmail.com

ज्ञापन क्रमांक /लेखा./2025 953 बालाघाट दिनांक 11 /04/2025

प्रति,

शाखा प्रबंधक
सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा–बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– M.P.Tiger Foundation Society मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत्।

––––00––––

उपरोक्त विषयांतर्गत M.P.Tiger Foundation Society के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमांक **162081** दिनांक **11.04.25** राशि रू. **74,73,420.00 (चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र)** संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त चैक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No.छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरणनिम्नानुसारहैः–

S.No	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION SOCIETY	SBIN0001308	10571048460	26,22,000	State Bank Of India T.T. Nagar, Main Branch, Bhopal
2				28,13,220	
3				10,92,000	
4				9,46,200	
			योग	74,73,420	

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण
परियोजनाक्रियान्वयनइकाई क्र.–1, बालाघाट

CBINR 52025041510015627

REPORT-ID: IF0000 CENTRAL BANK OF INDIA TRAN DATE:17042025

BRANCH: 03312
MAKER: 0054874

N E F T - T R I C K L E F E E D T R A N S A C T I O N S

SENDER IFSC:CBIN0283312
CHECKER: 0054874

SENDER-AC-NO / SERVICE TAX RESPONSE	AMOUNT	BENEFICIARY-AC-NO	BENEFICIARY-NAME	SENDER-NAME	RECEIVER-IFSC	COMMISSION	
3041271029 UTR CBINN62025041710840555	24405630.00	1507661156164636	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
3041271029 UTR CBINN62025041710840655	30517100.00	1507661155629680	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
3041271029 UTR CBINN62025041710840755	12831373.00	1507661155398174	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
3041271029 UTR CBINN62025041710840855	19832304.00	1507661155493725	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00

TOTAL NO. OF TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

SUCCESSFUL TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

3312

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11091867201

ग्राम: टेकाड़ी			पटवारी हल्का: टेकाडी (प)			तहसील: कटंगी			जिला: बालाघाट		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यौरे: फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12
											न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0032/अ-59/2022-23, आदेश दि. 05/12/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।
1569186213 7DPJLYDCRN0AH0	356/2 (S)		8.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						सरकार घास चराई

लोक सेवा केन्द्र बालाघाट (म.प्र.)

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्र. 1 बालाघाट

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.19 12:15:29 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11091867201

–: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660, 661 के वन क्षेत्र में 7.47 हेक्टेयर** प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में **NPV** की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा **"कांद्रीकला से कटटीपार तक निर्माण कार्य"** हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के **वन खंड क्रमांक 649, 650, 655, 661, 660 के वन क्षेत्र में 7.47 हेक्टेयर** वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।

2- ग्राम पंचायत अंधियाटोला, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नही किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "कांद्रीकला से कटटीपार तक सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।

4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
सहायक आयुक्त,	वनमंडलाधिकारी	कलेक्टर
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट	दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट	जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट

FORM-I **Annexure-I**

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

****

No. 2191...... Dated.....8/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of Indias letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA,for short) on the forest land proposed to be diverled for non-forest purposes read with MoEF'sletter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain reiaxation in respect of lioner projects, it is certified that **7.47 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **Kandrikala to Kattipar Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji **Tah./Block Lanji, Village-Andhiyatola in Compartment No. 649, 650, 655, 661, 660 Total Area 7.47 Hec. in** Forest land village(s) in **Lanji** tehsils.

It is further certified that:

(cc) The compltet process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.47 hectares** of forest land proposed for diversion.A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s)and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02.**

(dd)The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complaeted and the Gram Sabhas have given their consent. to it;

(ee)(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:

(Dr. Girish Kumar Mishra)
Signature
COLLECTOR
(full name and official seal of the District Collector)
BALAGHAT

E:\2020-21\Vanmitra 20-20\ज्ञापन.doc

—: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660, 661 के वन क्षेत्र में 7.47 हेक्टेयर** प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: वन क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660, 661 के वन क्षेत्र में 7.47 हेक्टेयर** प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कोई भी वृक्ष नही काटे जावेगें। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

न्यायालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

रा0प्र0क0/0032/अ–59 वर्ष 22–23
मौजा टेकाडी (भ) प0ह0नं0– 42
रा0.नि.मं कटंगी तहसील कटंगी,
जिला बालाघाट म.प्र.

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट
——————आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

आदेश दिसम्बर
(पारित दिनांक 05 ~~नवम्बर~~ 2022)

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन के तहत वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने निवेदन किया गया है ।

वन विभाग को ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 356 रकबा 22.296 हे., भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में तहसीलदार कटंगी द्वारा प्रकरण न्यायालय में संस्थित कर प्रकरण में सम्पूर्ण जांच कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में ईश्तहार का प्रकाशन किया गया है। निर्धारित अवधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पंचायत टेकाडी (भ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की गई। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त जांच की गई। ग्राम टेकाडी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 356 रकबा 22.296 हे., भूमि सरकार घास चराई मद में दर्ज है, जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। ग्राम का 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा सुरक्षित रखने के उपरांत ग्राम टेकाडी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांरित किये जाने अनुशंसा संहित प्रतिवेदित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी रा. कटंगी द्वारा तहसीलदार कटंगी के प्रतिवेदन से

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सहमत होते हुये ग्राम ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. भूमि सरकार घास चराई मद में दर्ज है। वन विभाग को हस्तांरित किये जाने अनुशसा की गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सरकार घास चराई मद में दर्ज है। तहसीलदार कटंगी तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटंगी द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति दर्शायी है। प्रकरण में भूमि का स्थल निरीक्षण भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तथा उन्होंने उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत राजस्व रिकार्ड में ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेख में सरकार घास चराई मद में दर्ज है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 23.11..2022 में पारित स्वीकृति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत तथा अनुविभागीय अधिकारी कटंगी एवं तहसीलदार कटंगी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–दो की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट को निर्देशित किया जाता है, कि वे वन विभाग की समिति द्वारा जारी स्वीकृति की कंडिकाओं का पालन करते हुए कार्य संपादित करें।

आज दिनांक 05 / 12 / 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आदेश पारित किया गया।

न्यायालय कलेक्टर
बालाघाट (म.प्र.)

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)
कलेक्टर,
बालाघाट (म0प्र0)

पृ0क्र0 / 2830 / रीडर / कले0 / 2022 — बालाघाट दिनांक– 5 / 12 / 2022

प्रतिलिपि :–
1– महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट ।
2– वनमंडलाधिकारी उत्तर / दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बालाघाट
3– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी।
4– तहसीलदार कटंगी जिला बालाघाट ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
बालाघाट (म0प्र0) (म.प्र.)

rediffmail

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Mon, 07 Apr 2025 14:57:42

To: gm_bgtpiu1@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. Proposal No.	: FP/MP/ROAD/155493/2022
2. Proposal Name	: Construction of road from Kandrikala to Kattipar Road under RCPLWEA scheme
3. Category of the Proposal	: Road
4. Date of In-principle	: 18/05/2022

5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Mobile No.	: 9424636525
Email ID	: gm_bgtpiu1@rediffmail.com
State	: Madhya Pradesh
District	: Balaghat
Pincode	: 481001

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 4971916/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 9177568/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Road Side Plantation	: Rs. 5682820/-
10. Other Charges1	: Rs.0/-
11. Other Charges2	: Rs.0/-
Total Amount	: Rs. 19832304/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-04-2025

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61155493725
MoEF/SG File No.	6-MPR019/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Near RTO Office Civil LineBalaghat
Amount(in Rs)	19832304/-

Amount in Words :One Crore Ninety-Eight Lakh Thirty-Two Thousand Three Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661155493725 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-04-2025

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61155493725
MoEF/SG File No.	6-MPR019/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Near RTO Office Civil Line Balaghat
Amount(in Rs)	19832304/-

Amount in Words :One Crore Ninety-Eight Lakh Thirty-Two Thousand Three Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661155493725 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print Back